निगरानी/8434/2006/टीए/गंगानगर
चुन्नीलाल बनाम हेतराम व अन्य

		तारीख हुक्म
	एकल–पीठ **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री प्रशांत सोनी, अभिभाषक प्रार्थी। (2) श्री अमृतपालसिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 **निर्णय** **दिनांकः 28 जून, 2019** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ के वाद संख्या 61/2006 बउनवान चुन्नीलाल बनाम हेतराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 24–11–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी हेतराम द्धारा तहसीलदार सूरतगढ़ के यहां धारा 183(सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 8 एस डी प0नं0 98/391 कि0नं0 2 से 9 तक, 15–16–25 की 11 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में पुख्ता आवंटित प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का काश्तकार है। अप्रार्थी स्वर्ण जाति का समृद्धशाली काश्तकार है जो बलपूर्वक नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है एवं फसल का फायदा उठा रहा है। अप्रार्थी को बेदखल किया जावें। प्रार्थी ने पूर्व में अप्रार्थी गोपाल के खिलाफ धारा 183 बी0 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 3–7–2000 को प्रार्थी के हक में किया गया तथा विवादित आराजी का कब्जा प्रार्थी को दिलाया गया किन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी के परिवार सहित मारपीट कर खेत से बाहर निकाल दिया तथा पुनः भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। अप्रार्थी विवादित भूमि पर अतिक्रमी है तथा निर्णय के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा है। अतः अप्रार्थी को सजा दी जावें व कब्जा पुनः प्रार्थी को दिलाया जावें। विचारण न्यायालय द्धारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया तथा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की जाकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 10–5–2006 को विचारण न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र	

		तारीख हुक्म
	स्वीकार कर अप्रार्थी को दोषी घोषित करते हुए आर्थिक दण्ड व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जिस आदेश से व्यथित होकर अपील अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ के न्यायालय में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपीलांट/अप्रार्थी की अपील दिनांक 24–11–2006 को खारिज कर दी जिस निर्णय दिनांक 24–11–2006 से व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही में प्रार्थी/निगरानीकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकार बनने का प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतिम निर्णय के साथ खारिज कर दिया। इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि अप्रार्थी सं0 1 हेतराम द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किया गया है। प्रार्थी विवादित भूमि का सद्भावी क्रेता है। हेतराम ने विचारण न्यायालय में बदनियती से प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। गोपाल ने जांच न्यायालय के समक्ष यह तथ्य अंकित किया था कि विवादित भूमि चुन्नीलाल की है, वह केवल काश्त करता है तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त है। निगरानीधीन आदेश की आड़ में प्रार्थी को बेदखल किया जा रहा है। प्रार्थी विवादित आराजी पर अनाधिकृत रूप से काबिज नहीं है। चुन्नीलाल को दिनांक 5–5–2000 को एग्रीमेन्ट के आधार पर कब्जा सौंपा गया है। चार अधीनस्थ न्यायालयों में चुन्नीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया। गोपाल का विवादित आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। गोपाल पर धारा 91 के तहत कार्यवाही गलत हुई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निगरानीधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के निगरानीधीन निर्णय विधि विरूद्ध, विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में, एकतरफा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ	

		तारीख हुक्म	
	पारित किये है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण / गैर निगराकार का तर्क है कि गैर निगराकार अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी आराजी का स्थानान्तरण स्वर्ण जाति को नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही एग्रीमेन्ट के प्रकरणों को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। गैर निगराकार द्धारा कोई आराजी विक्रय नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्धारा निगराकार को सही बेदखल किया गया है। इसलिए दोनों न्यायालयों के आदेश उचित एवं न्यायसंगत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होकर निगरानीकर्ता की निगरानी काबिल खारिज योग्य है। उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। हस्तगत निगरानी में हेतराम द्धारा धारा 183 (सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर धारा 183 (बी) के अन्तर्गत विवादित भूमि पर प्रार्थी हेतराम को कब्जा दिलाया गया किन्तु अप्रार्थी गोपाल द्धारा पुनः मारपीट कर बलपूर्वक कब्जा करना जाहिर किया है जिसे विचारण न्यायालय सिविल कारावास व आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्धारा भी अपने निर्णय में यह माना गया है कि अपीलांट चुन्नीलाल की उक्त तथाकथित खरीद जरिये इकरारनामा सहीं नहीं मानी है क्योंकि भूमि का इकरारानामा रामलाल को तथा रामलाल द्धारा अपीलांट को किया जाना बताया गया है जबकि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 2, गंगानगर द्धारा अपने निर्णय दिनांक 21–10–200 को रामलाल को किया गया प्रथम इकरारनामा दिनांक 25–3–1997 को अवैध व विधि विरूद्ध घोषित किया गया है तो अपीलांट का दूसरा रामलाल से दिनांक 5–5–2000 को किया गया इकरारनामा स्वतः ही विधि विरूद्ध व अवैध हो जाता है। अपीलीय न्यायालय में गोपाल ने जवाब में अपना कब्जा होना जाहिर किया है तथा अपीलीय न्यायालय द्धारा		

		तारीख हुक्म
	उक्त अपील आधारहीन व तथ्यहीन होने से काबिल खारिज की गयी है जिन दोनों न्यायालयों के आदेशों में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि अनुसूचित जाति की आराजी का बेचान स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। इसलिए निगरानी में हम कोई सार नहीं पाते हैं। इसलिए निगरानी खारिज योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 10–5–2006 एवं अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 24–11–2006 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	